

आयातित पर्यावरणीय सिद्धांतों पर सर्वोच्च न्यायालय- ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (Great Indian Bustard)

खबरों में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा ने हाल ही में टिप्पणी की कि अंतर-पीढ़ीगत समता (Inter-generational Equity) जैसे कई पश्चिमी पर्यावरणीय सिद्धांत मानव-केंद्रित (Anthropocentric) हैं और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (GIB) तथा लेसर फ्लोरिकन जैसी लुप्तप्राय प्रजातियों की रक्षा में प्रभावी नहीं हो सकते।

पृष्ठभूमि (Background)

यह मामला एम.के. रंजीतसिंह द्वारा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और लेसर फ्लोरिकन के संरक्षण से संबंधित एक याचिका से जुड़ा है। ये दोनों भारत में पाई जाने वाली गंभीर रूप से लुप्तप्राय पक्षी प्रजातियाँ हैं।

इन प्रजातियों के विलुप्त होने का मुख्य कारण है —

- आवास का नुकसान
- बिजली लाइनों से टकराव
- और घास के मैदानों के पारिस्थितिकी तंत्र में गिरावट।



मुख्य बिंदु (Key Points)

न्यायमूर्ति नरसिम्हा की टिप्पणियाँ:

- अंतर-पीढ़ीगत समता जैसे सिद्धांत बाइबिल और पश्चिमी विचारों से उत्पन्न हुए हैं, जो पारिस्थितिक संतुलन के बजाय मानव लाभ पर जोर देते हैं।
- ऐसे सिद्धांत उन प्रजातियों की रक्षा में उपयोगी नहीं हो सकते जिनका मनुष्यों के लिए कोई तात्कालिक लाभ (Instrumental Value) नहीं है।
- उन्होंने “पारिस्थितिकी-केंद्रित दृष्टिकोण (Ecocentric Approach)” अपनाने का सुझाव दिया — जो केवल मानव उपयोगिता पर नहीं, बल्कि सभी जीवित प्राणियों के आंतरिक मूल्य को मान्यता देता है।
- न्यायमूर्ति ने रेड सैंडर्स संरक्षण मामले (2012) का भी उल्लेख किया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने जैव विविधता कानून में पारिस्थितिकी-केंद्रित दृष्टिकोण को एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया था।

के बारे में (About the Species)

ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (Great Indian Bustard)

विशेषता (Feature)	विवरण (Description)
वैज्ञानिक नाम	Ardeotis nigriceps
IUCN स्थिति	गंभीर रूप से लुप्तप्राय (Critically Endangered)
आवास	शुष्क और अर्ध-शुष्क घास के मैदान (मुख्यतः राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र)
खतरे	बिजली लाइनों से टकराव, आवास का क्षरण, शिकार, और कम प्रजनन सफलता

संरक्षण प्रयास	वन्यजीव संस्थान (WII) के तहत परियोजना ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चल रही है। राजस्थान के डेज़र्ट नेशनल पार्क में कैप्टिव ब्रीडिंग कार्यक्रम शुरू किया गया है।
न्यायालय आदेश	सर्वोच्च न्यायालय (2021) ने GIB आवासों में बिजली की लाइनों को भूमिगत करने का निर्देश दिया।

लेसर फ्लोरिकन (Lesser Florican)

विशेषता (Feature)	विवरण (Description)
वैज्ञानिक नाम	Sypheotides indicus
IUCN स्थिति	लुप्तप्राय (Endangered)
आवास	मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के घास के मैदान
खतरे	कृषि विस्तार, कीटनाशकों का उपयोग, और जलवायु परिवर्तनशीलता
जनसंख्या	लगभग 70 व्यक्तियों की रिपोर्ट

उजागर की गई अवधारणाएँ (Concepts Highlighted)

अवधारणा (Concept)	अर्थ (Meaning)	दृष्टिकोण का प्रकार (Approach Type)
अंतर-पीढ़ीगत समता (Inter-generational Equity)	वर्तमान और भविष्य की मानव पीढ़ियों के लिए संसाधनों का सतत उपयोग	मानव-केंद्रित (Anthropocentric)
पारिस्थितिकी-केंद्रवाद (Ecocentrism)	प्रकृति और सभी प्रजातियों का अपना आंतरिक मूल्य होता है, जो मानव लाभ से स्वतंत्र है	पारिस्थितिकी-केंद्रित (Ecocentric)

UPSC प्रारंभिक परीक्षा – अभ्यास प्रश्न

प्रश्न. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (GIB) और लेसर फ्लोरिकन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. IUCN रेड लिस्ट में दोनों प्रजातियों को गंभीर रूप से लुप्तप्राय (Critically Endangered) के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
2. दोनों प्रजातियों का मुख्य आवास भारत के शुष्क और अर्ध-शुष्क घास के मैदान हैं।
3. सर्वोच्च न्यायालय ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के आवास में बिजली लाइनों को भूमिगत करने का निर्देश दिया है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?



- (A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3
उत्तर: (B) केवल 2 और 3

IAS-PCS Institute



Result Mitra
रिजल्ट का साथी



@resultmitra



www.resultmitra.com



9235313184, 9235440806

